न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00319

1. बद्रीलाल आत्मज स्व0 कालूलाल जाति माली ।
2. मांगीलाल आत्मज स्व0 कालूलाल जाति माली निवासीगण माली मोहल्ला ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. नाथूलाल आत्मज स्व0 गोपाल जाति माली निवासी माली मोहल्ला सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. श्रीमती आबू बाई पत्नी स्व0 गोपाल जी जाति माली निवासी माली मोहल्ला सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. बृजमोहन आत्मज स्व0 मोडूलाल जाति माली निवासी माली मोहल्ला सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. रामप्रसाद आत्मज स्व0 मोडूलाल जाति माली निवासी माली मोहल्ला सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. ओमप्रकाश आत्मज स्व0 देवलाल जाति माली निवासी माली मोहल्ला सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. कंचन बाई पुत्री कालूलाल पत्नी भवानीशंकर जाति माली निवासी ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. शांति बाई पुत्री स्व0 भूरा जी पत्नी शंकर लाल जाति माली निवासी ग्राम भैरूपुरा ओझा तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
2. लड्डू बाई पुत्री स्व0 भूरा पत्नी प्रभूलाल जाति माली निवासी ग्राम भैरूपुरा ओझा तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
3. देवकी विधवा पत्नी स्व0 श्री भूरा जाति माली निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. राजेन्द्र आत्मज नाथूलाल जाति धाकड निवासी देवनारायण के मंदिर के पास ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. गोबरी लाल आत्मज स्व0 कालूलाल जाति माली निवासी मोली मोहल्ला सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. श्रीमती प्रेम बाई पुत्री स्व0 श्री कालू जी पत्नी दिनेश कुमार जाति माली निवासी खेडली फाटक तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. मोहन लाल आत्मज रामनाथ जाति माली ।
8. मोहन लाल आत्मज गोपाल जाति माली निवासीगण माली मोहल्ला सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

9. पुष्पा बाई पुत्री गोपाल पत्नी कन्हैया लाल जाति माली निवासी ग्राम बंधा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. कजोडी बाई पत्नी बिरधीलाल जाति माली निवासी करकरा मोहल्ला कस्बा के0 पाटन जिला बून्दी ।
11. राजेश कुमार आत्मज देवलाल जाति माली निवासी माली मोहल्ला सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. मीना कुमारी पुत्नी महावीर जी पुत्री देवलाल जाति माली निवासी करकरा मोहल्ला कस्बा के0 पाटन जिला बून्दी ।
13. किशनलाल आत्मज रामनाथ जाति माली ।
14. बाबूलाल आत्मज रामनाथ जाति माली ।
15. प्रहलाद आत्मज रामनाथ जाति माली निवासीगण माली मोहल्ला सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
16. केला बाई पतनी दौलतराम जाति माली ।
17. लाड बाई पत्नी पुष्पचन्द जाति माली निवासी ग्राम देवली ढिकोली तहसील कनवास जिला कोटा ।
18. मोहर बाई पत्नी गजानन्द जाति माली निवासी ग्राम बंधा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
19. चन्द्रकला पत्नी घनश्याम जाति माली निवासी अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
20. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 की ओर से ।
3. श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 3 व 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 20.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में वर्तमान में कुल 11 किता की 6.84 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता भूरा जी के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में थी। प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास हो जाने से उनके एकमात्र उत्तराधिकारी पुत्रियॉ होने से प्रार्थीगण एवं विधवा पत्नी होने से प्रतिपक्षिनी क्रम 01 है । भूरा जी के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था। प्रार्थीगण के पिता भूरा जी एवं अप्रार्थी क्रम 01 ने किसी को भी गोद नहीं लिया है ।

अप्रार्थी क्रम 02 मोहनलाल आत्मज गोपाल को भूरा जी एवं अप्रार्थी क्रम 01 ने गोद नहीं लिया था तथा मोहन लाल आत्मज गोपाल भूरा जी एवं अप्रार्थी क्रम 01 का गोद पुत्र एवं उत्तराधिकारी नहीं है । अप्रार्थी क्रम 02 के पिता ने प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 01 के अनपढ एवं अशिक्षित महिला होने एवं नजदीकी रिश्तेदार होने का फायदा उठाकर प्रार्थीगण की गैर मौजूदगी में भूरा जी का फौती नामान्तरकरण तथ्यों को छुपाकर अप्रार्थी क्रम 01 के साथ–साथ मोहनलाल को भूरा जी का पुत्र होना गलत रूप से जाहिर कर स्वयं का नाम भी अंकित करवा लिया जबकि वास्तविकता यह है कि मोहनलाल भूरा जी का गोदपुत्र नहीं है । मृतक भूरा जी के खाते व हिस्से की भूमि उनकी विधवा पत्नी एवं उनकी पुत्रियॉ होने से अप्रार्थी क्रम 1 के साथ–साथ प्रत्येक प्रार्थीगण के पक्ष में संभाग से दर्ज की जानी चाहिए थी । इस प्रकार भूरा जी के स्वर्गवास होने के उपरान्त तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 193 सर्वथा गलत है । भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही गैर कानूनी एवं अनाधिकृत रूप से वास्तविकता के विपरीत मोहनलाल को रामबख्श का पुत्र होना गलत रूप से अंकित कर दिया । प्रार्थीगण की माता ने न्यायालय सहायक जिलाधीश मुख्यालय कोटा के न्यायालय में दिनांक 23.09.87 को वाद पेश किया था । उक्त वादग्रस्त आराजी में भूरा एवं उनके वारिसान अप्रार्थी क्रम 01 का 1/5 हिस्सा है । उक्त वाद में देवकी बेवा भूरा जी द्वारा यह जाहिर किया गया है कि संयुक्त खाते की आराजी में मोहन लाल एवं चाहन्या का कोई हिस्सा नहीं बनता है । अप्रार्थी मोहनलाल ने उक्त वाद में जवाबदावा प्रस्तुत कर स्वयं को भूरा जी का गोदपुत्र होना जाहिर किया है । उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादिनी आंशिक रूप से डिक्री करते हुए भूरा जी के हिस्से की आराजी पर मोहनलाल के साथ–साथ 1/2 हिस्से में वादी का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया और चाहन्या का नाम डिलिट करने का आदेश पारित किया । भूरा जी वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्से के सहखातेदार थे । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 01 भूरा जी की पुत्रियॉ एवं विधवा पत्नी होने से उनकी उत्तराधिकारी हैं । उक्त भूमि में प्रत्येक प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 01 का 1/3 – 1/3 हिस्सा है अर्थात् प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं हिब्बा नहीं करें तथा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें । उक्त भूमि को प्लानिंग कर भूखण्डों में विभक्त कर विक्रय नहीं करें । कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन नहीं करावे व कृषि भूमि की नेचर तब्दील नहीं करें । उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.02.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करने भूमि पर प्लानिंग कर भूखण्डों में विभक्त नहीं हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.02.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 05, 06, 08, 10, 13, 14, 15, 17, अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्टगण के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम सोगरिया स्थित आराजी पर अपीलान्टगण जन्म से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 का कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.02.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है । ग्राम सोगरिया की आराजी पर अपीलान्ट का जन्म से ही काबिज है । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 और 02 का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 और 02 के नाम दर्ज नहीं है । सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय में मोहनलाल को देवकी के साथ भूरा की आराजी में सहखातेदार दर्ज करने का आदेश पारित किया है । तब से आज तक वादग्रस्त आराजी में बहैसियत सहखातेदार काबिज रहे हैं । रेस्पोडेन्टगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.02.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सोगरिया में स्थित वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पिता भूरा के शामलाती खाते में दर्ज थी । भूरा का स्वर्गवास हो चुका है । भूरा के रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण 02 पुत्रियॉ और देवकी पत्नी है । भूरा जी की मृत्यु के बाद उनकी समस्त सम्पत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारी उनकी पुत्रियॉ और विधवा है प्रार्थीगण के पिता भूरा जी ने कभी भी मोहन लाल को गोद नहीं लिया है । प्रार्थीगण की अशिक्षा का फायदा उठाकर भूरा जी का इंतकाल तथ्यों को छुपाकर प्रतिपक्षी क्रम 01 के साथ–साथ मोहनलाल के नाम खोला गया है जबकि मोहनलाल उनका गोदपुत्र नहीं था । प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में देवकी के साथ संभाग से खातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं । प्रार्थीगण की माता ने सहायक जिलाधीश के न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत् हक घोषणा का दावा पेश किया था और सहायक जिलाधीश ने दिनांक 30.09.1991 को हक घोषणा एवं विभाजन की डिक्री पारित करते हुए मोहन लाल के साथ 1/2 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया था । इसमें मोहनलाल को भूरा जी का गोदपुत्र गलत रूप से माना है । इस दावे में प्रार्थीगण पक्षकार नहीं थे । गोद के प्रश्न को तय करने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को है । इस प्रकरण में प्रार्थीगण पक्षकार नहीं थे इस कारण यह निर्णय प्रार्थीगण के खिलाफ बेअसर है । प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्से में 1/3 – 1/3 हिस्सा है । अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी प्लाट काटकर विक्रय कर रहे हैं । प्रार्थीगण के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.02.2016 बहाल रखा जावे ।

उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2016 (1) पेज 205, आरएलडब्ल्यू 2005 (2) पेज 218 एआईआर 1987 (राज0) पेज 143, एआईआर 1997 (एससी) पेज 2719, आरएलडब्ल्यू 2011 (2 राज0 पेज 1113 उद्वरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण ने एक दावा हक घोषणा का पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है । प्रार्थना पत्र के साथ फोढो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 पेश की है जिसके अनुसार कुल 11 किता की 6.84 हैक्टर आराजी पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें देवकी और मोहन लाल पुत्र भूरा सहखातेदार दर्ज है । नामान्तरकरण दिनांक 13.05.2013 की फोटो प्रति भी संलग्न है जिसमे सहायक कलक्टर के निर्णय की पालना में चाहन्या का नाम हटाया गया है । दिनांक 30.09.1991 का सहायक कलक्टर के निर्णय की फोटो प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है । देवकी विधवा भूरा के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर में पेश किये गये दावे एवं जवाबदावे की फोटो प्रतियॉ भी संलग्न है । इसके अलावा फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2024–28 और नामान्तरकरण संख्या 183 की फोटो प्रति, मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 17.02.1993 की फोटो प्रति भी संलग्न की गई हैं ।

11. प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन करते हुए दावा एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया है कि वो स्वर्गीय भूरा की पुत्री होने के नाते वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार दर्ज होने की अधिकारिणी है । अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण को भूरा की पुत्री होना स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में यदि मोहनलाल को भूरा का गोदपुत्र माना जावे तब भी वादग्रसत आराजी प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया हित–निहित है । यद्यपि पक्षकारो के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे इस स्टेज पर नहीं परन्तु इस स्टेज पर प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में प्रथमदृष्टया हित–निहित है, सुविधि का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी उनके पक्ष में है । ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय के द्वारा उनके पक्ष में वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान नहीं करने और वादग्रस्त आराजी को भूखण्डों में विभक्त कर विक्रय नहीं करने और भूमि को अकृषि कार्य में परिवर्तित नहीं करने के बाबत् जो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.02.2016 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा